

बिहार सरकार

अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०सं०- 5/निदे० (छात्रवृत्ति प्रये०) 200-26/2018- 03

प्रेषक,

सरकार के सचिव।

सेवा में

महालेखाकार, बिहार,
बीरब्रह्म पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 08/04/2026

विषय-वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत संकल्प संख्या-1141 दिनांक-10.05.2018 के आलोक में "मुख्यमंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनु० जनजाति छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रावास अनुदान का लाभ देने के लिए अनुसूचित जाति के लिए कुल ₹730.00 लाख (सात करोड़ तीस लाख रु०) मात्र एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कुल ₹90.00 लाख (नब्बे लाख रु०) मात्र अर्थात् कुल ₹820.00 लाख (आठ करोड़ बीस लाख रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश-स्वीकृत।

महाशय,

2- स्वीकृत राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम से अनुसूचित जाति के लिए व्यय मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण- उप मुख्यशीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण, लघु शीर्ष-277-शिक्षा, उपशीर्ष 0101-शिक्षा, विषय शीर्ष-0101.21.01-सामग्री एवं पूर्तियां, मांग संख्या-44-विपत्र कोड संख्या-44-2225012770101 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए '2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उप मुख्यशीर्ष-02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, लघु शीर्ष-277-शिक्षा, उपशीर्ष-0101-शिक्षा, विषय शीर्ष -0101.21.01-सामग्री एवं पूर्तियां, मांग संख्या-44-विपत्र कोड संख्या-44-2225022770101 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3- इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग होंगे, तथा इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग होंगे। निकासी पदाधिकारी राशि की निकासी कर वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में विभाग के स्तर पर खाता का संधारण करेंगे।

4- निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी के स्तर से सत्यापित एवं स्वीकृत सूची के आधार पर वित्त विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-3808 दिनांक-02.06.2017 के आलोक में आधार (वित्तीय और सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (Aadhar Targeted delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services, 2016), एवं समय-समय पर निर्गत संकल्प/अनुदेशों के आलोक में विभाग के स्तर पर PFMS के माध्यम से लाभान्वित होने वाले छात्रों के बैंक खाता में राशि का अंतरण करेंगे।

5-संकल्प संख्या-1141 दिनांक-10.05.2018 के आलोक में "मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना" के अन्तर्गत अनु० जाति/अनु० जनजाति छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रावास अनुदान का लाभ देने की स्वीकृति के आलोक में राशि व्यय किया जायेगा


6- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17-4-98 पत्रांक-3651 दिनांक-31.03.2023 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/सर्व सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

7-महालेखाकार, बिहार को इस राशि के व्यय से संबंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार, बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

8-प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार का अनुमोदन सं०-5/निदे०(छात्रवृति) 200-26/2018 के पृ०- /टिप्पणी दिनांक- को प्राप्त है।

9-कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

10-सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

08-04-26
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-5/निदे० (छात्रवृति प्रवे०) 200-26/2018- 03


दिनांक-08/04/2026

प्रतिलिपि(1) वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) (i) निदेशक अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/ संयुक्त सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सहायक निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/आई० टी० मैनेजर/संबंधित प्रशाखा पदा०, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ii) सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी संबंधित उप निदेशक, कल्याण/सभी संबंधित जिला कल्याण पदा० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


08-04-26
सरकार के सचिव।